न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 43/2017 (2017/00104) जिला–नागौर

1. धर्माराम पुत्र श्री घीसाराम जाति मेघवाल उम्र 51 वर्ष निवासी मोकाला (मोकलपुर) तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. मोहन पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी मोकाला (मोकलपुर) तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. मदन पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी मोकाला (मोकलपुर) तहसील मेड़ता जिला नागौर।
4. जसाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी मोकाला (मोकलपुर) तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर भू–अभिलेख नागौर।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग जोधपुर
3. तहसीलदार तहसील कार्यालय मेड़ता
4. कैलाश पुत्र जसाराम जाति ढोली निवासी भुरयासनी तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता जिला नागौर दिनांक 13–04–2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 249/2016 बउनवान धर्माराम
व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य

––––

उपस्थित– 1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांकः 17–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष उपस्थित होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से दौराने सेटलमेंट अपीलार्थी के खसरा नम्बर 5/5 मिन रकबा

18 बीघा से 0.31 हैक्टर पूर्व रकबे की खातेदारी कृषि भूमि कम की जाकर नवनिर्मित खसरा नम्बर 69 रकबा 2.60 हैक्टर खातेदारी दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 5/5 मिन रकबा 18 बीघा से 1.16 हैक्टर कृषि भूमि कम की जाकर नवनिर्मित खसरा नम्बर 70 रकबा 1.75 हैक्टर दर्ज कर दिया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदारी कम किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रार्थना पत्र धाारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–04–2017 द्वारा अपीलार्थीगण का धारा–136 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं हो सकी। अपीलार्थगण के अभिभाषक ने उनको कहा था कि बार–बार पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी प्रकरण का फैसला होगा उन्हें सूचित कर दिया जायेगा। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 24–7–2017 को मेड़ता जाकर अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उन्होंने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 13–4–2017 को ही हो चुका है। तत्पश्चात उक्त आदेश की नकल लेकर अभिभाषक से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के अपील पेश की गई। अपीलार्थीगण का प्रकरण गुणावगुण पर बनता है चूंकि राजस्व कर्मचारियों की गलती और लापरवाही से अपीलार्थीगण की आराजी का रकबा कम हो गया है जिससे अपीलार्थीगण के हक व अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जवाब रेकार्ड पर लेकर जवाब में विपक्षी संख्या 3 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी उक्त खसरान में कम हुई है। तहसीलदार, मेड़ता द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट प्रेषित कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्राप्त रेकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 5/5 मिन रकबा 18 बीधा का नया खसरा नम्बर 69 रकबा 2.60 हैक्टर दर्ज किया तथा खसरा नम्बर 5/16 रकबा 8 बीधा का नया खसरा नम्बर 60 रकबा 1.29 हैक्टर दर्ज किया तथा खसरा नम्बर 5/5 रकबा 18 बीघा का नया खसरा नम्बर 70 रकबा 1.75 हैक्टर दर्ज किया। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग ने खसरा नम्बर 69 का रकबा 0.31 हैक्टर पूर्व रकबे से कम किया जाकर 1.75 हैक्टर दर्ज किया इस प्रकार 1.16 हैक्टर रकबा नये रकबे में कम कर दिया गया जो कि प्रत्यर्थी संख्या–3 ने स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्य रेकार्ड पर लिये जाकर बहस सुनी तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से तहसीलदार मेड़ता से पुनः शुद्ध पत्र की मांग की जिसमें तहसीलदार मेड़ता ने पत्रांक भूअभिलेख/136 शुद्धि/2017/2206 दिनांक 2–3–2017 की रिपोर्ट में पटवारी हल्का मोकलपुर की रिपोर्ट अनुसार यह कहा गया कि अपीलार्थी का रकबा बढ़ाया जाता है तो सम्पूर्ण ग्राम का रकबा बढ़ता है । अतः रकबा बढाया जाना उचित नहीं है। उक्त रिपोर्ट के अधार पर धारा 136 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए उक्त प्रकरण खारिज कर दिया जबकि अपीलार्थीगण का मूल खसरे में जब रकबा कम किया गया तब पूरे गांव का रकबा कम नहीं हुआ था और जब रकबा बढ़ाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि सम्पूर्ण ग्राम का रकबा बढ़ जायेगा जो पूर्ण रूप से अस्वीकृत है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 176/06 विचाराधीन था उसके बावजूद भी अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की निलामी की गई तथा इसके बावजूद वाद पत्र संख्या 226/2012 विचाराधीन था जिसमें राजस्व रेकार्ड में रकबा कम किया जाना स्वीकार किया तथा भू–मापक तुलसीराम सोलंकी को रकबा कम किये जाने के एवज में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवही की जाकर 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किये गये। इसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि से कम किये गये रकबे को पुनः नहीं लौटा रहे है उक्त खातेदारी भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से उन्हें लाभ पहुंचाने

की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा खतौनी की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने से यह सामने आये कि पर्चा खतौनी के अनुसार अलावा जोत काबिल काश्त मोहन, जसा, मदन पिता प्रभुराम मेघवाल 1.16 हैक्टर, धर्माराम पुत्र घीसाराम मेघवाल 0.31 हैक्टर कृषि भूमि को पर्चा खतौनी में मोहन, जसा मदन, पिता प्रभुराम मेघवाल 0.31 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के भू–मापक की गलती से उक्त कृषि भूमि का रकबा कम किया गया जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार पूर्ण रूप से साबित होता है जिसकी शुद्धिकरण करने का अधिकार धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी में निहित है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटि को सही नहीं कर विधिविरूद्ध तरीके से खारिज किया है जो स्वीकर योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–4–2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण की खातदेारी कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 5/5 रकबा 18 बीघा एवं 5/5 मिन रकबा 18 बीधा दर्ज की जाकर नवनिर्मित खसरा संख्या 69 व 70 में 36 बीघा भूमि के हैक्टर दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि अपीलार्थी का बढ़ा हुआ रकबा किस खसरा नम्बर में जुड़ा है तथा जो रकबा कम पड़ रहा है उस किस खसरा नम्बर से कम कर अपीलार्थी के खाते में जोड़ा जावे। अपीलार्थी दस्तावेजों से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण अपीलार्थी का धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। जबकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–04–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का मोकलपुर की रिपोर्ट दिनांक 2–12–2016 को तहसीलदार मेड़ता द्वारा भिजवाई गई जिसमें अपीलार्थीगण के नाम ग्राम मोकलपुर में जमाबंदी सम्वत 2038–42 में खाता संख्या 291 में खातेदारी प्रभु, धर्मा, पिसरान घीसा कौम मेघवाल खसरा नम्बर 5/5 रकबा 36 बीघा दर्ज थी। उक्त पुराने खसरा नम्बर 5/5 मिन का बंटवारा होने से जमाबंदी चौसाला 2054–57 में खाता संख्या 313 खसरा नम्बर 5/5 मिन रकबा 18 बीघा धर्माराम पुत्र घीसाराम के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा खसरा नम्बर 5/5 मिन

रकबा 18 बीधा के नये खसरा नम्बर 69 रकबा 9.60 हैक्टर कायम किये । रकबा 0.31 हैक्टर कम कर दिया गया। खसरा नम्बर पुराने 5/5 के नये खसरा नम्बर 70 रकबा 1.75 हैक्टर कायम कर रकबा 1.16 हैक्टर रकबा कम कर दिया गया। भू–प्रबंध विभाग ने मौके अनुसार खसरान का नक्शा बनाकर रकबा दर्ज किया है। नक्शे अनुसार रकबा मौके पर मिलान खाता है। खसरा नम्बर 69 व 60 पर सीबीआई बैंक मेड़ता का ऋण होने पर पुराने खसरे अनुसार उक्त भूमि को कुर्क कर निलामी की गई जो कैलाश पुत्र जस्सा जाति ढोली निवासी भूरियासनी तहसील मेड़ता के नाम स्वीकृत हुई व जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी हो चुका है व वर्तमान में कब्जा काश्त कैलाश पुत्र जस्साराम ढोली निवासी भूरियासनी का है। पटवारी हलका की अन्य रिपोर्ट 2–7–2017 के अनुसार अपीलार्थीगण का ग्राम मोकलपुर में स्थित खसरा नम्बर 69 व 70 का रकबा नक्शा शीट व मौके पर वर्तमान में दर्ज राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही है। यदि अपीलार्थी के वाद के अनुसार रकबा बढ़ाया जाता है तो खसरा नम्बर 69 में रकबा 0.31 हैक्टर बढता है तथा खसरा नम्बर 70 में रकबा 1.16 हैक्टर बढ़ता है तो 1.47 हैक्टर रकबा बढ़ाया जाता है तो गांव एवं तहसील का रकबा बढ़ जाता है। अतः रकबा बढ़ाया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का बढ़ा हुआ रकबा किस खसरा नम्बर में जुड़ा है तथा जो रकबा कम पड़ रहा है उस किस खसरा नम्बर से कम कर अपीलार्थी के खाते में जोड़ा जावे। यदि किसी अन्य पक्षकार के खेत का खसरा नम्बर कम कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद होने की संभावना है। अपीलार्थी दस्तावेजों से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण अपीलार्थी का धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। जबकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–04–2017 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–04–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 249/2016 बउनवान धर्माराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर